

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 208/2022 उनवान समीर बनाम सोहनी वगै0

समीर वादी

बनाम

सोहनी वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 09.01.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 208/2022 उनवान समीर बनाम सोहनी वगै0में वाद वादी दिनांक 21.03.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने वावत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2024/270 दिनांक 23.08.2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम हेतसर के भूमि ख.न. 53 रकबा 4.15 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	समीर कुतार पुत्र मांगेराम जाति धानक सा. टोडी तह. चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा रहन एसबीआई हेतमसर	53/1	2.68	बारानी -1
	योग	किता 01	2.68	-
2	सोहनी पुत्री टीकुराम जाति मेघवाल सा देह रहनएसबीआई हेतमसर	53/2	1.15	बारानी -1
3	समीर कुतार पुत्र मांगेराम जाति धानक सा. टोडी तह. चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा रहन एसबीआई हेतमसर व सोहनी पुत्री टीकुराम जाति मेघवाल सा देह रहनएसबीआई हेतमसर हिस्सा बराबर	53/3	0.06	गै0 मु. रास्ता

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्झुनू

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्या दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बाईजलास मण्डावा जिला झुंझुनू (राज0)
पिठारतीन अधिकारी - मुनेश कुमारी
(आर.एस.)

दावा विभाजन दावत बंटवारा
अन्तिम दाव डिकी

मुकदमा नम्बर :- 208/2022 उनवान समीर बनाम सोहनी वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु, मुनेश कुमारी(आर.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी चकील दादीगण भिनजानिव मुदई रुबरु चकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुददालय घेरा होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2025 निर्णय दाव दादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम हेतसर के भूमि ख.न. 53 रकबा 4.15 हेक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार कारतकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किस्म
1	समीर कुमार पुत्र मांगेराम जाति धानक सा. टोडी तह. घरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा रहन एसबीआई हेतमसर	53/1	2.68	बाराणी -1
		किता 01	2.68	-
2	सोहनी पुत्री टीकुराम जाति मेघवाल सा देह रहनएसबीआई हेतमसर	53/2	1.44	बाराणी -1
3	समीर कुमार पुत्र मांगेराम जाति धानक सा. टोडी तह. घरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा रहन एसबीआई हेतमसर व सोहनी पुत्री टीकुराम जाति मेघवाल सा देह रहनएसबीआई हेतमसर हिस्सा बराबर	53/3	0.06	गो मु रास्ता

लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जाये।
बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.01.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
मण्डावा